संख्याः 2295 /आठ–1–11–31बैठक/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–प्रमुख सचिव,
गृह/लोक निर्माण/नगर विकास/परिवहन विभाग,
उ0प्र0 शासन।

2–आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3–पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

4–समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

5–अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।

6–उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

7–नगर आयुक्त,
लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी।

8–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 08 जुलाई ~~जून~~, 2011

विषयः सड़कों के किनारे अनधिकृत कब्जा व अवैध निर्माण कार्यों को रेगुलेट करने के संबंध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.06.2011 के कार्यवृत्त के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सड़कों के किनारे अनधिकृत कब्जा व अवैध निर्माण कार्यों को रेगुलेट करने के संबंध में प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.06.2011 के संलग्न कार्यवृत्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त ।</u>

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से पृष्ठांकित कि वह उक्त शासनादेश एवं कार्यवृत्त को वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसकी प्रतियॉ उक्तवर्णित/समस्त संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(शम्भू नाथ)
उप सचिव

संलग्नक : यथोपरि ।

"उ०प्र० रोड–साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट" व "पब्लिक प्रिमाइसेज़ एक्ट" (पी०पी० एक्ट) के तहत् राजमार्ग की सड़को के किनारे अनाधिकृत कब्जा व अवैध निर्माण कार्यों को रेगुलेट किये जाने के सम्बन्ध मे प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 17.06.2011 का कार्यवृत्त

....

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के लखनऊ मुख्यालय स्थित सभागार में सम्पन्न उक्त बैठक में विकास प्राधिकरणों, नगर निगम, नगर विकास विभाग, जिलाधिकारियों के प्रतिनिधि, लोक निर्माण विभाग व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में सम्यक विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :–

- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रमुख 10 विकास प्राधिकरणों लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, मथुरा– वृन्द्रावन विकास प्राधिकरण के उपस्थित अधिकारियों, सम्बन्धित नगर निगमों/जिलाधिकारी/लोक निर्माण विभाग व पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए विभिन्न नगरों के अन्तर्गत नेशनल हाईवेज़/स्टेट हाईवेज़ व नगर के अन्दर नगर निगम की सड़को पर बढ़ रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में चिन्ता व असंतोष व्यक्त किया गया।

- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया कि "उ०प्र० रोड–साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट–1945" के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा नैशनल हाइवेज़/स्टेट् हाइवेज़ का नियमानुसार नोटीफिकेशन किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह निर्णीत हुआ कि यदि किसी सड़क का नोटीफिकेशन छूट गया है तो उसका लोक निर्माण विभाग द्वारा नोटीफिकेशन शीघ्र कराकर लोक निर्माण विभाग की 'वेबसाइट' पर 'अपलोड' कर दिया जाये। उक्त अधिनियम, 1945 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा बहुत कम चालान किये गये हैं, अतः इसके लिए नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिये गये। **(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग)**

- लोक निर्माण विभाग अपनी सड़को के ROW वाले 'पोर्शन' के लिए प्रापर्टी रजिस्टर को अद्यतन कर लें व उनका रख–रखाव उचित रूप से किया जाये। स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर रोड सीमा का चिन्हांकन भी तत्परता से करा दिया जाये तथा समस्त सूंचना अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। **(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग)**

- लोक निर्माण विभाग की सड़को पर जहाँ अतिक्रमण कर लिये गये हैं, वहां लोक निर्माण विभाग स्वयँ, Initiative लेते हुए अभियान चलाकर, इन अतिक्रमणों को समयबद्ध रूप से हटवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग)

- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेन्ट एक्ट, 1973 में वर्ष 1997 में एक नई धारा–26 ए: जोड़ते हुए Enactment' किया गया है, जो निम्नवत् है :–

  (1) Whoever makes any encroachment on any land not being private property, whether such land belongs to or vests in the authority or not in a development area, except steps over drain in any public street, shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees.

  (2) Any offence punishable under Sub-section (1) shall be cognizable

- उक्त धारा–26 ए के अन्तर्गत सम्पूर्ण विकास क्षेत्र में किसी भी 'पब्लिक प्रापर्टी' पर किसी अतिक्रमण को दण्डनीय करते हुए संज्ञेय अपराध माना गया है। इसमें यह भी वर्णित है कि वर्ष 1997 में इस नई धारा–26ए जोड़कर Enactment करने की Date को, cut-off date मानते हुये, उससे पहिले के अतिक्रमणकर्ताओं को वैकल्पिक स्थान देकर ही हटाया जा सकता है।

(कार्यवाही– समस्त विकास प्राधिकरण)

- नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–296 व नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका अधिनियम–1916 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत, नगर–निगम/नगरपालिका सड़को पर अतिक्रमण हटाया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस धारा के अन्तर्गत बगैर नोटिस दिये हुये ही अवैध कब्जेदारों को तथा सड़क पर किये गये अवैध कब्जे/निर्माण को तोड़ा भी जा सकता है। नगर विकास विभाग कृपया जुर्माने की धनराशि बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधन करने पर विचार कर ले।

(कार्यवाही– नगर विकास विभाग/समस्त नगर निगम एवं नगरपालिका)

- स्थानीय स्तर पर अवैध अतिक्रमण से निपटने के लिए पुलिस विभाग ने एक प्रपत्र तैयार किया है जो सँलग्न है। इस सलग्न प्रपत्र का उपयोग किया जाये।

(कार्यवाही– गृह विभाग/समस्त वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)

- प्रत्येक माह में एक बार नगर निगम, विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, एन0एच0ए0आई0, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि तथा पुलिस प्रशासन द्वारा सँयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध कब्जा/अतिक्रमण को हटाये जाये तथा follow up Action में यह सुनिश्चित किया जाये कि एक बार अतिक्रमण हटाये जाने के पश्चात

पुनः खोखे, गुमटी व अन्य अतिक्रमण न होने पायें। इस सम्बन्ध में उस विभाग द्वारा 'पहल' किया जाये, जो मार्ग के रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है।

(कार्यवाही–गृह/नगर विकास/लोक निर्माण विभाग/समस्त जिलाधिकारी एवं समस्त विकास प्राधिकरण)

- श्री सूर्य कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (ट्रैफिक) द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने विगत दिनों में जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दे दिये हैं कि सभी थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि एक बार अतिक्रमण हट जाने के पश्चात वहाँ किसी भी दशा में दुबारा अतिक्रमण न होने पाये अन्यथा इसका उत्तरादात्वि सम्बन्धित थानाध्यक्ष का होगा।

(कार्यवाही– गृह विभाग/समस्त वरि0 पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)

- नगर में चिहिन्त स्थानों पर बसों/ट्रॅकों, चौपहिया तथा अन्य छोटे वाहनों की रिपयेर की दुकान खोलकर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा भी सक्रिय कार्यवाही करते हुए नोटिस दी जानी चाहिए व एक बार नोटिस दे दिये जाने के पश्चात अनाधिकृत रूप से सड़क पर पार्क किये गये चौपहिया वाहनों को सीज़ भी किया जाना चाहिए। नगर में मोटर गैराज के लिए जमीन चिन्हित करते हुए इस दृष्टि से परीक्षण कर लिया जाय कि ऐसी चिन्हित भूमि का उपयोग वाणिज्यिक दर पर रखे जाने का क्या औचित्य है चूंकि ये सुविधायें कदाचित यातायात श्रेणी में आती हैं।

(कार्यवाही–नगरविकास/परिवहन विभाग/समस्त सम्भागीय/सहा0सम्भा0 परिवहन अधिकारी)

- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 को निर्देश दिये गये कि समाज के गरीब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए 'रेड़ी' वालों/फेरीवालों तथा ऑटो–शॉप के लिए भी जोनल प्लान में स्थान चिन्हित किया जाना चाहिए तथा भारत सरकार की 'फेरी' नीति को प्रदेश की समाजिक/आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत Customize करते हुए बनाया जाना चाहिए। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, जोनल प्लॉन में, रिक्शॉ स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड/बस स्टैण्ड, ऑटो–रिपेयर तथा पार्किंग स्थलों को पहले ही प्लान करके चिन्हित कर लें ताकि भविष्य में कोई असुविधा न हो। इसका भू–उपयोग भी कदाचित व्यवसायिक नहीं होना चाहिए, इसकी समीक्षा कर ली जाये। पूरे नगर में इन सुविधाओं का विकास, आवासीय अभिकरणों द्वारा किया जाये तथा इनकी लागत नगर की विक्रय योग्य सम्पत्तियों तथा CDC (City Development Charges) Load किया जाये।

(कार्यवाही–मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0)

- सड़क पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों द्वारा नियमानुसार 'प्रति–दिवस' की दर से अर्थदण्ड लगाया जाये तथा

गरीब लोगों के लिए वैकल्पिक स्थल भी चिन्हित कर लिया जाये ताकि उन्हें रोजगार भी मुहैया हो सकें।

(कार्यवाही–गृह / नगर विकास विभाग)

- नगर के चौराहों से 50 मीटर के 'रेडियॅल–डिस्टैन्स' पर आस–पास कोई अतिक्रमण न होने दिया जाये, ताकि ट्रैफिक का 'स्मूथ–फ्लो' बना रहे।

(कार्यवाही–गृह / नगर विकास विभाग / समस्त पुलिस अधीक्षक, नगर निगम एवं विकास प्राधिकरण)

- कानपुर नगर निगम के नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने पिछले तीन महीने में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर काफी अतिक्रमण हटवाये हैं, परन्तु एक सप्ताह के बाद अतिक्रमणकर्ता पुनः उसी स्थल पर जाकर काबिज़ हो जाते हैं, इस हेतु पुलिस को अपने स्तर से Initiative लेते हुए 'दबिश' भी देनी चाहिये।

(कार्यवाही–गृह विभाग / नगर निगम / वरि० पुलिस अधीक्षक, कानपुर)

- मेरठ वि०प्रा० के उपाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि नैशनल–हाईवे 58 पर उन्होंने विगत माह अपने Initiative पर 98 अतिक्रमण हटाये हैं, परन्तु पुलिस द्वारा कोई follow-up action नहीं लिया जा रहा है।

(कार्यवाही–गृह विभाग / वरि० पुलिस अधीक्षक,मेरठ / मेरठ वि०प्राधिकरण)

- नगरों के अन्दर घूम रहे छुट्टा जानवरों (Stray Animals) को **काँजी–हॉउस'** में Shift किया जाना चाहिए ताकि नगर के अन्दर यातायात में ये जानवर अवरोध उत्पन्न न कर सकें।

(कार्यवाही–नगर विकास विभाग / समस्त नगर निगम एवं नगर पालिका)

संलग्नक : यथोपरि ।

आलोक कुमार
सचिव

अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को हटाने सम्बन्धी निर्देश

बुक नं0   नोटिस नं0   दिनांक ....

नाम : ....

पिता का नाम : ....

पता : ....

....

आपने .... स्थान पर थाना क्षेत्र ....में अवैध रूप से ....(अतिक्रमण का प्रकार) अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगता है एवं दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप 24 घंटे के अन्दर इस स्थान से अपना अतिक्रमण हटा ले अन्यथा आपके विरूद्ध धारा-447 भारतीय दण्ड विधान धारा-3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम 1984, धारा-210 नगर पालिका अधिनियम-1916, धारा-26क उ0प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम-1997 एवं धारा-177 उ0प्र0 मोटर वाहन नियमावली-1988 के अन्तर्गत मुकदमा लिखाकर उसकी विवेचना करके चालान सम्बन्धित न्यायालय भेजा जायेगा। जो एक गैर जमानती पुलिस केस होगा और इसमें गिरफ्तारी का भी प्राविधान है।

....

....

अतिक्रमण करने वाले के हस्ताक्षर
नाम/ अंगूठे का निशान

....

....

आदेशकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम व मोहर

अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण को हटाने सम्बन्धी निर्देश

बुक नं0   नोटिस नं0   दिनांक ....

नाम : ....

पिता का नाम : ....

पता : ....

....

आपने .... स्थान पर थाना क्षेत्र ....में अवैध रूप से ....(अतिक्रमण का प्रकार) अतिक्रमण कर रखा है जिसके कारण ट्रैफिक जाम लगता है एवं दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप 24 घंटे के अन्दर इस स्थान से अपना अतिक्रमण हटा ले अन्यथा आपके विरूद्ध धारा-447 भारतीय दण्ड विधान धारा-3 लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम 1984, धारा-210 नगर पालिका अधिनियम-1916, धारा-26क उ0प्र0 योजना एवं विकास अधिनियम-1997 एवं धारा-177 उ0प्र0 मोटर वाहन नियमावली-1988 के अन्तर्गत मुकदमा लिखाकर उसकी विवेचना करके चालान सम्बन्धित न्यायालय भेजा जायेगा। जो एक गैर जमानती पुलिस केस होगा और इसमें गिरफ्तारी का भी प्राविधान है।

....

....

अतिक्रमण करने वाले के हस्ताक्षर
नाम/ अंगूठे का निशान

....

....

आदेशकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम/पदनाम व मोहर

अवैध अतिक्रमण हेतु दण्ड की व्यवस्था

1. धारा-3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण 1984 के अन्तर्गत पाँच वर्ष का कारावास एवं अर्थ दण्ड।
2. धारा-447 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत तीन माह का कारावास एवं रू0 500/- अर्थदण्ड।
3. धारा-177 M. V. Act के अन्तर्गत प्रथम गलती/अपराध पर 100/- एवं दुबारा गलती पर 300/- अर्थदण्ड।
4. धारा-210 नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत 1000/- अर्थदण्ड।
5. धारा-26क उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1997 के अन्तर्गत एक वर्ष का कारावास एवं 20000/- तक का अर्थदण्ड।

अवैध अतिक्रमण हेतु दण्ड की व्यवस्था

1. धारा-3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण 1984 के अन्तर्गत पाँच वर्ष का कारावास एवं अर्थ दण्ड।
2. धारा-447 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत तीन माह का कारावास एवं रू0 500/- अर्थदण्ड।
3. धारा-177 M. V. Act के अन्तर्गत प्रथम गलती/अपराध पर 100/- एवं दुबारा गलती पर 300/- अर्थदण्ड।
4. धारा-210 नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत 1000/- अर्थदण्ड।
5. धारा-26क उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1997 के अन्तर्गत एक वर्ष का कारावास एवं 20000/- तक का अर्थदण्ड।